

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश //

क्रमांक C/5642 /

जबलपुर, दिनांक 01/08 / जुलाई, 2024.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के प्रशासनिक भवन में कर्मचारीगण द्वारा अपने वाहनों को व्यवस्थित रूप से न रखकर किसी भी स्थान में अव्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया जाता है, जिससे असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपने वाहन प्रशासनिक भवन में यथास्थान व्यवस्थित रूप से खड़े करें।

सही / -

(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार प्रशासन

पृष्ठांकन क्रमांक C/5643 /

जबलपुर, दिनांक 01/08 / जुलाई / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1.. रजिस्ट्रार प्रशा., न्या. 1 एवं 2 / डी.ई. / आई.एल. / कम-पी.पी.एस. / एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की बेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्था.)-----, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (स्था.)----- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अप्रेषित।

(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

4